



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 1384/2014 जिला : कोटा

उनवान मैसर्स अडानी इन्फ्रा (इण्डिया) लिमिटेड, कोटा बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त 'ए', कोटा व अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2014	<p style="text-align: center;">- खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के ओर से श्री एम.एल.पाटोदी, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-अ, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(2) के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2014 में विवादित मांग राशि रु. 27,21,20,291/- में से रु. 24,00,00,000/- की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में कायम मांग राशि रु. 27,21,20,291/- में से रु. 24,00,00,000/- की वसूली पर स्थगन प्रदान पर अवशेष राशि रु. 3,21,20,291/- पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशियों की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  7.10.2014 (मदन लाल) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (सुनील शर्मा) सदस्य </div> </div>	